

स्वहस्ताक्षरित शपथपत्र / घोषणा पत्र
समस्त जाति व वर्ष के छात्र / छात्रा द्वारा देय
समक्ष-संस्थाध्यक्ष / जिला सक्षम अधिकारी, मु0नगर

छात्र / छात्राओं
का स्वयं
हस्ताक्षरित फोटो

मैं पुत्र / पुत्री श्री जो ग्राम मुहल्ला

जनपदका निवासी हूँ। शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान करता हूँ:-

- 1- यह कि मैं ग्राम मुहल्ला तहसील जिलाउत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूँ। (सामान्य निवास प्रमाण पत्र समक्ष अधिकारी द्वारा प्रदत्त संलग्न है)
- 2- यह कि मैं उत्तर प्रदेश राज्य में विनिर्दिष्ट सामान्य जाति / अनुसूचित जाति / पिछड़ी जाति / अल्पसंख्यक समुदाय का हूँ। (तहसीलदार द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र संलग्न है)
- 3- यह कि मेरे माता / पिता, विधिक अभिभावक की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय रूपया दो लाख या इससे कम है। (तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र / अभिभावक के नियोक्ता द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र घोषणा पत्र सहित संलग्न है)
- 4- यह कि सम्प्रति मैं एस0 डी0 कॉलेज ऑफ मैनेजमेन्ट स्टडीज, भोपा रोड जनपद मुजफ्फरनगर शैक्षिक संस्थान के पाठ्यक्रम में वर्ष में संस्थागत छात्र के रूप में अध्ययनरत हूँ। संस्था डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ / एस0सी0ई0आर0टी0, लखनऊ / चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मॅरठ / एस0सी0ई0 आर0टी0 विश्वविद्यालयों व बोर्ड से मान्यता प्राप्त है।
- 5- यह कि मैंने उक्त विश्वविद्यालय में पंजीयन हेतु आवेदन कर दिया है। पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर संस्था को ससमय उपलब्ध करा दूँगा।
- 6- यह कि मैंने पिछली परीक्षा वर्ष में उत्तीर्ण की है। गैप के संबंध में अलग से शपथ पत्र / घोषणा पत्र औचित्य सहित प्रस्तुत है। परीक्षा प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है।
- 7- यह कि मुझे कोई दूसरी छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। यदि कोई अन्य छात्रवृत्ति जो इस योजना से अधिक लाभप्रद है।
- 8- यह कि मेरा बचत खाता संख्या बैंक का नाम शाखा में खुला हुआ है तथा हमारे बैंक खाता संख्या आधार कार्ड नं0 व KYC से लिंक है, इस सम्बन्ध में यदि भविष्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि पायी जाती है, तो इसकी पूर्णरूप से जिम्मेदारी मेरी होगी / होगी।
- 9- मैंने छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति ONLINE फार्म पूर्णरूप से भर दिया है, जिसकी रजिस्ट्रेशन संख्या यह है, जिसकी पूर्ण रूप से जिम्मेदारी व उत्तरदायित्व मेरा होगा / होगी।
- 10- यह कि जो भी राशि जिला समाज कल्याण विभाग / जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग / जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से मेरे खातों में शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में प्राप्त होगी, यदि मेरा / मेरी शिक्षणशुल्क बकाया है तो मैं उसे बिना विलम्ब किये (03 दिन के अन्दर) एस0डी0 कॉलेज ऑफ मैनेजमेन्ट स्टडीज, मुजफ्फरनगर में जमा कर दूँगा / दूँगी क्योंकि मैंने संस्था में शिक्षण शुल्क जमा नहीं किया है। यह राशि कॉलेज में जमा करने की पूर्ण जिम्मेदारी मेरी व मेरे माता-पिता अर्थात् अभिभावक की होगी।
- 11- यह कि उक्त संस्था में शुल्क जमा कर दिया गया है, जिसका दावा राज्य सरकार से माँगा जा रहा है। उक्त शपथ पत्र में 1 से 10 तक में वर्णित सभी तथ्य सही एवं मेरी पूर्ण जानकारी में हैं इसमें कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। ईश्वर हमारी मदद करें।

दिनांक :

शपथी के हस्ताक्षर.....

नाम.....

पिता / पति का नाम.....

पता.....

मोबाईल नं0.....

छात्रवृत्ति फार्म का रजिस्ट्रेशन नं0

स्वहस्ताक्षरित शपथपत्र / घोषणा पत्र

समस्त जाति व वर्ष के छात्र / छात्राओं के
माता-पिता व अभिभावक द्वारा देय समक्ष-
संस्थाध्यक्ष / जिला सक्षम अधिकारी, मु0नगर

छात्र के माता-पिता
व अभिभावक का
स्वयंहस्ताक्षरित
फोटो

मैं, पुत्र/पुत्री श्री, पता-, पोस्ट-, तहसील
....., जनपद, उ0प्र0 का निवासी हूँ और(छात्र/छात्रा का नाम), का
पिता होने के कारण शपथपूर्वक निम्नलिखित ब्यान करता हूँ कि -

1. यह कि मेरा पुत्र/पुत्री, एस0डी0 कॉलेज ऑफ मैनेजमेन्ट स्टडीज, भोपा रोड तहसील मुजफ्फरनगर, जनपद मुजफ्फरनगर, उ0प्र0 मे (कोर्स का नाम) पाठ्यक्रम में वर्ष का छात्र है।
2. यह कि मेरे पुत्र/पुत्री,द्वारा छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) आवेदन पत्र के साथ जो आय, जाति एवं सामान्य निवास प्रमाण पत्र लगाया जा रहा है वह सत्य है।
3. यह कि आय प्रमाण पत्र में दर्शायी गई आय मेरी समस्त स्रोतो से है। इसके अतिरिक्त मेरा कोई आय का स्रोत नहीं है। यदि किसी प्रकार की जांच मे दर्शायी गई आय गलत पायी जाती है तो उसके लिए शपथकर्ता / घोषणाकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. यह कि विभाग को अधिकार होगा कि यदि मेरा आय प्रमाण पत्र गलत पाया जाता है तो समस्त छात्रवृत्ति की धनराशि को ब्याज सहित मुझसे प्राप्त कर ले। जिसमे मुझे एवं मेरे पुत्र को कोई आपत्ति किसी प्रकार की नहीं होगी।
5. यह कि शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि उपरोक्त शपथपत्र की धारा 1 से 4 तक मेरे निजी ज्ञान में सब सच व सही है। ईश्वर हमारी मदद् करें।

स्थान:-

(छात्र/छात्रा के माता-पिता या
अभिभावक के हस्ताक्षर)

दिनांक:-

नाम.....

आधार कार्ड नं0.....

पिता/पति का नाम.....

पता.....

मोबाईल नं0.....

शपथपत्र / घोषणा पत्र

निर्धारित दर पर नान जूडिशियल (रू0 100 /— स्टाम्प पेपर पर)

केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्रा एवं संस्था के मध्य अनुबंध पत्र

यह अनुबंध पत्र आज दिनांक..... को (1) कु0 /श्रीमति /श्री आयु वर्ष पुत्री/पत्नी/पुत्र/श्री.....जो ग्राम जाति निवासी ग्राम/मुहल्ला डाकखाना.....तहसील..... जिला..... जिसे एतत्पश्चात प्रथम पक्ष कहा गया है।

(2) डा0 आलोक कुमार गुप्ता, प्राचार्य, पता एस0 डी0 कॉलेज ऑफ मैनेजमेन्ट स्टडीज, भोपा रोड जनपद मुजफ्फरनगर (जहां छात्र/छात्रा अध्ययनरत है) जो केन्द्र/राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है, जिसे एतत्पश्चात द्वितीय पक्ष कहा गया है। उसके मध्य निष्पादित किया जाता है।

चूँकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दशमोत्तर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति संबंधी योजना संचालित है, जिसकी पात्रता संबंधी शर्तें आदि दशमोत्तर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति चतुर्थ नियमावली 2016 व 2017 में उल्लिखित है। उक्त नियमावली के आलोक में दोनो पक्ष निम्नलिखित शर्तों को स्वीकार करते हैं:—

- 1— द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष को अपनी शैक्षिक संस्थान में निःशुल्क प्रवेश उत्तर प्रदेश दशमोत्तर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) विषयक चतुर्थ नियमावली 2016 व 2017 के अनुपालन में देगा।
- 2— प्रथम पक्ष, संदर्भित संस्था में प्रवेश पाने पर निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत उक्त छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) के निर्धारित आवेदन पत्र पर समस्त वांछित अभिलेखों सहित संस्था में जमा करेगा एवं द्वितीय पक्ष द्वारा नामित अधिकारी प्रथम पक्ष को निर्धारित प्रारूप पर प्राप्ति रसीद देगा।
- 3— द्वितीय पक्ष उपर्युक्त चतुर्थ नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रथम वर्ष की छात्रवृत्ति स्वीकृति हेतु वांछित कार्यवाही सम्पन्न करायेगा।
- 4— प्रथम पक्ष के बैंक खाते में चतुर्थ नियमावली के अनुसार देय छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) की धनराशि जमा हो जाने पर प्रथम पक्ष विलम्बतम 03 दिन के अंदर द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित व्यवस्थानुसार शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि द्वितीय पक्ष के पक्ष में अन्तरित कर देगा।
- 5— प्रथम पक्ष संस्था में उत्तम कार्य व्यवहार एवं द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित उपस्थिति के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करेगा।
- 6— प्रथम पक्ष अपरिहार्य कारणों को छोड़कर द्वितीय पक्ष द्वारा आयोजित सेमेस्टर परीक्षा अथवा अर्द्धवार्षिक परीक्षा जो भी हो, में प्रतिभाग करेगा।
- 7— उत्तर प्रदेश दशमोत्तर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) विषयक चतुर्थ नियमावली 2016 व 2017 की व्यवस्थानुसार यदि प्रथम पक्ष का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष की संस्था को देय समस्त शुल्क वहन करने का दायित्व प्रथम पक्ष का होगा।

प्रथम पक्ष :-

हस्ताक्षर.....
छात्र/छात्रा का नाम.....
पिता/पति का नाम.....
पता
आधार कार्ड नं0
मोबाईल नं0.....

साक्षी सं0-1 :-

हस्ताक्षर.....
नाम.....
पिता/पति का नाम.....
पता
आधार कार्ड नं0
मोबाईल नं0.....

द्वितीय पक्ष:-

हस्ताक्षर — प्राचार्य
नाम व पदनाम — डा0 आलोक कुमार गुप्ता
पिता का नाम — श्री नकली सिंह गुप्ता
पता — एस0 डी0 कॉलेज ऑफ मैनेजमेन्ट
स्टडीज, भोपा रोड, मुजफ्फरनगर।

साक्षी सं0-2 :-

हस्ताक्षर — नोडल अधिकारी
नाम व पदनाम — मि0मुदास्सिर हुसैन
पिता का नाम — श्री तक्स्सुल हुसैन
पता — एस0 डी0 कॉलेज ऑफ मैनेजमेन्ट
स्टडीज, भोपा रोड, मुजफ्फरनगर।